न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 55/अपील/17 तारीख दायरा 06.06.17

1. जोधराज आ0 जगन्नाथ जाति गूजर निवासी बोहरा तहसील खानपुर
2. भीमराज आ0 जगन्नाथ जाति गूजर निवासी बोहरा तहसील खानपुर
3. प्रेम बाई पुत्री जगन्नाथ जाति गूजर निवासी बोहरा तहसील खानपुर
4. गंगा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति गूजर निवासी बोहरा तहसील खानपुर
5. नटी बाई पत्नि जगन्नाथ जाति गूजर निवासी बोहरा तहसील खानपुर

——————अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण कथित पुत्र रामगोपाल जाति गूजर निवासी चारभुजा मंदिर के पास सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. लालचन्द कथित पुत्र रामगोपाल जाति गूजर निवासी चारभुजा मंदिर के पास सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. मदनीबाई कथित पुत्र रामगोपाल जाति गूजर निवासी चारभुजा मंदिर के पास सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

——————रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार खानपुर दिनांक 22.03.2017 नामा0सं0 1307 ग्राम कंवरपुरा मण्डवालान

उपस्थितः— 1. श्री ओकारेश्वर शर्मा वकील अपीलान्ट

—: निर्णयः— दिनांकः— 22.01.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक नायब तहसीलदार गंगधार के निर्णय दिनांक 22.03.2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रामकरण लालचन्द व मदनीबाई ने एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर में धारा 88,91,188 व 53 राज0टीनेन्सी एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एलआरएक्ट का जगन्नाथ आ0 गोपाल के विरूद्व पेश किया जिसका वाद सं0 352/2009 है वादीगण का यह वाद डिकी किया गया व जगन्नाथ का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया— जगन्नाथ ने उक्त वाद के निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.13 की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा में पेश की, जिसका निर्णय दिनांक 01.02.17 को पारित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी बहाल रखा गया। इस पर जगन्नाथ ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में उक्त निर्णयों की अपील मय प्रार्थना पत्र स्टे आर्डर पेश की माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत अपील का उनवान इस प्रकार है जगन्नाथ बनाम रामकरण, लालचन्द वगै0 अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील से पूर्व रामकरण वगैरह ने केवियट प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.17 पेश कर दिया—जगन्नाथ की अपील के समय रेस्पा0 रामकरण वगै0 के अधिवक्ता एस0के0 जोशी उपस्थित हुवे जिन्हे अपील के एडमिशन पर सुना गया व दिनांक 07.02.17 को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का ओदश रेस्पो0 के अधिवक्ता एस0के0जोशी की उपस्थिति में दिया गया

अति0 कलक्टर एवम्
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)

व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई–अपीलान्ट जगन्नाथ ने आदेश दिनांक 07.03.2017 को 10.03.17 को दस्ती प्राप्त किया दिनांक 11,12,13.03.17 का अवकाश हाने से स्टे का दस्ती आदेश मय पत्रावली तलबी खानपुर को दिनांक 14.03.17 को उपखण्ड अधिकारी खानपुर के रीडर को पेश कर दिया इसके उपरान्त भी रेस्पो0 ने हल्का पटवारी, आईएलआर व तहसीलदार खानपुर से सांठ गॉठ करके अपने नाम दिनांक 22.03.17 को नामान्तकरण तस्दीक करा लिया ओर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम की प्रविष्ठी कराली गई–माननीय न्यायालय का यह आदेश विधी विरूद्व होने से निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 07.03.17 का ज्ञान रेस्पो0 उनके अधिवक्ता, राजस्व कर्मचारियो व तहसीलदार खानपुर को करा दिया गया था, इसके बावजूद भी नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो कानून के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेरे अपील निरस्त किया जावें।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस की ओर से वकील लेखराजसिंह चन्द्रावत द्वारा वकलातनामा पेश किया गया परन्तु वह दौराने बहस अनुपस्थित रहे। प्रकरण एक तरफा कार्यवाही करते हुवे बहस एक पक्षीय वकील अपीलान्ट सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया गया माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन दिये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो नियम विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस पर गौर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.03.17 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 नामा0 सं0 1307 ग्राम कंवरपुरा मण्डवालान तहसील खानपुर निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खानपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिंह पालावत)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट झालावाड